01C

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक 4324/अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक : 04/08/2015

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 के अनुमोदनानुसार **अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी, जिला–धमतरी (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय **(नए विषय)** एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र.	कक्षा/विषय		छात्र संख्या	सत्र
1.	नवीन विषय	M.S.W. (20 seats)	20	2015–16
2.		B.Com. (Computer Application) (40 seats)	40	

शर्तें :–

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र कमांक एफ 17–12/2015/38–2 दिनांक 30.01.2015 के द्वारा नवीन M.S.W. एवं B.Com (Computer Application) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
06. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है ।
07. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से **तीन माह** के भीतर पूर्ण करें।
08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय **को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।**

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 4325/अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक : 04/08/2015

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (अका.)

निरीक्षण प्रतिवेदन

वि.वि. के आदेश क्रमांक 4151/अका/2015 रायपुर दिनांक 20/7/2015 के परिपालन में अलखनन्दा इंफोटेक महाविद्यालय नगरी (सिहावा) में सत्र 2015-16 में एम.एस.डब्लू (20 सीट), पी.जी.डी.सी.ए. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) (50 सीट) संबद्धता हेतु दिनांक 26/7/2015 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाए गए।

(i) वर्तमान में महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है। वि.वि. परिनियम 28 के तहत नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।

(ii) महाविद्यालय का निजी भवन है, प्राप्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज के अनुसार 0.5 एकड़ जमीन है। जिसमें कुल 12 कमरे हैं। जिसमें अध्यापन के लिए 06 कमरे हैं तथा प्राचार्य एवं ~~[illegible]~~ कार्यालय के लिए पृथक 05 कमरे उपलब्ध हैं।

(iii) महाविद्यालय में 28 परिनियम के तहत संबंधनानुसार वाणिज्य में 0 M.S.W. में एक, एवं कम्प्यूटर में तीन शिक्षक हैं। आवश्यकतानुसार

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर : और शिक्षकों की वि.वि. नियमानुसार

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर–नाम–पता : नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।

विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम–पता: (iv) महाविद्यालय में कुल 700 पुस्तकें हैं। भविष्य में छात्र अनुपात में और पुस्तकें ~~एवं~~ पाठ्यक्रम संबंधी क्रय किया जाना आवश्यक है। ग्रंथपाल की नियुक्ति वि.वि. परिनियम 28 के तहत कि जाए।

(v) महाविद्यालय में कम्प्यूटर लेब है। जिसमें 30 कम्प्यूटर है

दिनांक ...... एवं 10 नवीनतम कान्फिगुरेशन के क्रय किया जाना आवश्यक है।

(vi) महाविद्यालय में लाइसेन्स सॉफ्टवेयर था जो 31-1-2015 को समाप्त

प्रति, हो चुका है। पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त लाइसेन्स सॉफ्टवेयर

कुलसचिव का नवीनकरण एवं क्रय किया जाना आवश्यक है।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

रायपुर(छ.ग.) (i) प्रो. प्रमोद कुमार शर्मा
संयोजक
[signature] 26/07/2015

(ii) डॉ. विनोद कुमार पटेल
सदस्य
[signature] 26.7.2015

(iii) डॉ. पी.सी. अग्रवाल
सदस्य
[signature] 26.7.15
डॉ. पी.सी. अग्रवाल